केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067-
******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/24/00091
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00272
अपीलकर्ता श्री नरेंद्र कुमार शर्मा
[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.06.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	Nill
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	28.06.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. अनंथारामन, CPIO (DR to VT)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	25.07.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	29.07.2024
निर्णय की तारीख	30.08.2024

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.06.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"1. श्रीमान जी, मैंने दिनांक 10.11.2023, डायरी संख्या 144997 केस नं CIC/NRAIL/A/2022/152443 के सन्दर्भ में सूचना अधिकारी, नॉर्दन रेलवे, जगाधरी वर्कशॉप की शिकायत की थी, मुझे सूचित करें इस पर क्या कार्यवाही हुई।

2. श्रीमान जी, मुझे सूचित करें शिकायत सन्दर्भ में डायरी संख्या 144997 केस नं CIC/NRAIL/A/2022/152443 में मुझे शेष सूचना कौन उपलब्ध करवाएगा।"

3. श्रीमान जी, केस नं CIC/NRAIL/A/2022/152443 में कोई नई सूचना आपके आदेश के बाद नहीं उपलब्ध करवाई गई। क्या यह माननीय सूचना आयोग की अवमानना का केस नहीं बनता, सूचित करें।

4. श्रीमान जी, सूचना के अधिकार के अंतर्गत 20 (1) व 20 (2) के अंतर्गत आपके आदेश के पालन न करने पर नार्दन रेलवे जगाधरी वर्कशॉप पर जुरमाना बनता है, मुझे सूचित करें, इन पर जुर्माना मेरी शिकायत पर क्यों नहीं किया गया।

5. श्रीमान जी, इस केस में आपके आदेश के बाद फिर पुरानी सूचना दी गई, नई कोई सूचना नहीं दी गई अर्थात जो शेष रह गई है इस पर आप सूचित करें, आप इनके विरुद्ध शेष सूचना उपलब्ध करवाने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे है, सूचित करें।"

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस. अनंथारामन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 28.06.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई -:

"Point No 1. - No action has been taken on the letter dated 10.11.2023. However, a letter to PIO to comply with the Commission's directives dated 23.09.2023 has been issued (copy enclosed).

Point No 2. - Public Information Officer, M/o Railway, Dy. CPIO & Nodal CPIO, Northern Railway, O/o Chief Workshop Manager, C & W Workshop, Jagadhri Workshop, District – Yamunanagar, Haryana – 135002 through the CIC.

Point No. 3. - Yes, it is.

Point No. 4 - Barred by section 2 (f) of the RTI Act, 2005.

Point No. 5 - CIC has sent a letter dated 28.06.2024 (Para 1 above) to the Respondent to comply with the CIC's order dated 23.09.2023."

3. प्रथम अपील का आधार

"श्रीमान जी, मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना दिनांक 18.06.2024 को मांगी थी। इस सन्दर्भ में जो सूचना प्राप्त हुई उससे मैं सहमत नहीं इसलिए आपसे 1st अपील कर रहा हूँ।

श्रीमान जी, बिंदु 1 में मैंने जो केस नं CIC/NRAIL/A/2022/152443 डायरी संख्या 144997 में नॉथर्न रेलवे जगाधरी वर्कशॉप की शिकायत की थी इस पर क्योंकि मेरी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इससे मैं सहमत नहीं। श्रीमान जी, मैंने शिकायत जो की थी क्योंकि मुझे सूचना आयोग में आदेश के बाद वही सूचना पुनः दी गई। शिकायत की कॉपी मैं आपको फिर भेज रहा हूँ। इससे जो सूचना शेष है मुझे उपलब्ध करवाने के आदेश दिए जाये क्योंकि आपके सूचना अधिकारी ने खुद माना यह सूचना आयोग के अवमानना का केस है इसलिय आपसे प्रार्थना सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश के साथ - साथ सूचना अधिकारी नॉर्दन रेलवे जगाधरी वर्कशॉप पर सूचना के अधिकार की धारा 20 (1) व (2) के अंतर्गत कार्यवाही होनी चाहिए। (फाइल में सल्गन है)"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00272 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं 4 में प्रेषित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to CIC) को निर्देश दिया जाता है कि

इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00272 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 30.08.2024

(ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती)
रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) DR to CIC(VT) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

o/c

C. I. C. /के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
03 SEP 2024
D. No.
Initials.